डाक-व्यय की पूर्व अदायगी के बिना डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत. अनुमति-पत्र क्र. रायपुर-सी.जी.

पंजीयन क्रमांक रायपुर डिवीजन

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

सत्यमेव जयते

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 107] रायपुर, सोमवार, दिनांक 29 अप्रैल 2002—वैशाख 9, शक 1924

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 27 अप्रैल 2002

क्रमांक 3197/21-अ/प्रारुपण/01.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के अधीन छत्तीसगढ़ के राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित किया गया निम्नलिखित (संशोधन) अध्यादेश 2002 (क्र. 2 सन् 2002) सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाता है.

"छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता (संशोधन) अध्यादेश, 2002 (क्र. 2 सन् 2002)"

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आई. एस. उबोवेजा, उप-सचिव.

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

छत्तीसगढ़ अध्यादेश

(क्रमांक 2 सन् 2002)

छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता (संशोधन) अध्यादेश , 2002

भारत गणराज्य के तिरपनवें वर्ष में छत्तीसगढ़ के राज्यपाल द्वारा यह प्रख्यापित किया गया.

छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्र. 20 सन् 1959) को संशोधित करने हेतु अध्यादेश.

यत: राज्य विधान मण्डल का सत्र चालू नहीं है और छत्तीसगढ़ के राज्यपाल का यह समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं जिसके कारण यह आवश्यक हो गया है कि तत्काल कार्यवाई करें;

अतएव भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए छत्तीसगढ़ के राज्यपाल निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करते हैं—

संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.

1. (1) इस अध्यादेश का संक्षिप्त नाम छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता (संशोधन) अध्यादेश, 2002 (क्रमांक 2 सन् 2002) है.

(2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

धारा 2 (1) (य-1) में अन्त: स्थापन.

2. (1) छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्र. 20 सन् 1959) जो इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से विनिर्दिष्ट है, की धारा-2 की उपधारा (1) के खण्ड (य-1) में प्रविष्टि (सात) के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टियां अन्त: स्थापित की जाएं, अर्थात् :—

"(आठ)	एडाइना कॉर्डिफोलिया	(हल्दू)
(नौ)	मित्रागाइना पार्वीफ्लोरा	(मुण्डी)
(दस)	टर्मिनेलिया अर्जुना	(अर्जुन)
(ग्यारह)	डायोस्पाइरस मेलनोक्जाइलान	(तेन्दू)
(बारह)	गेलाइना आरबोरिया	(खम्हार)"

धारा 239 में संशोधन.

3. (एक) छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से विनिर्दिष्ट है की धारा 239 के पूर्व पार्श्व शीर्षक-"दखल रहित भूमि में रोपित फलदार वृक्षों और अन्य वृक्षों पर अधिकार" के स्थान पर नया पार्श्व शीर्षक "दखल रहित भूमि, भाठा भूमि तथा बड़े झाड़/छोटे झाड़ के जंगल में रोपित फलदार वृक्षों और अन्य वृक्षों पर अधिकार" स्थापित किया जाय.

(दो) धारा 239 की उपधारा (1) और (2) में "दखल रहित भूमि" के पश्चात् "भाठा भूमि तथा बड़े झाड़/छोटे झाड़ का जंगल" जोड़ा जाए.

धारा 239 की उपधारा (5) के पश्चात् अंत: स्थापन.

4. मूल अधिनियम की धारा 239 की उपधारा (5) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अन्त: स्थापित की जाए, अर्थात्—

(5.क) वन संरक्षण अधिनियम, 1980 (1980 का संख्यांक-69) के उपबंध जिस भाठा भूमि पर लागू नहीं होते, उस भूमि पर वृक्षारोपण के लिए स्थाई पट्टा मंजूर किया जा सकेगा.

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

(5.ख) बड़े झाड़/छोटे झाड़ के जंगल पर वृक्षारोपण हेतु करार निष्पादित किया जा सकेगा. करार धारक या उसके उत्तराधिकारियों को बड़े झाड़/छोटे झाड़ के जंगल की भूमि पर तथा उक्त भूमि पर रोपित वृक्षों पर कोई भूमिस्वामी अधिकार उद्भूत नहीं होगा. करार धारक या उसके उत्तराधिकारी वृक्षों के भोगाधिकार के हकदार होंगे.

5. (1) मूल अधिनियम की धारा 241 की उपधारा (4) में शब्द "एक हजार रुपये" के स्थान पर "पांच हजार रुपये" स्थापित किए जाएं. धारा 241 में संशोधन.

(2) मूल अधिनियम की धारा 241 की उपधारा (5) के अंत में निम्नलिखित शब्द अन्तः स्थापित किए जाएं, अर्थात् :—

"तथापि ऐसे व्यक्ति से यह अपेक्षा की जाएगी कि वह सक्षम अधिकारी द्वारा अपनी भूमि का सीमांकन कराए और ऐसी वृक्षों को काटकर गिराए जाने या हटाए जाने के कम से कम दस दिन पूर्व क्षेत्राधिकारिता रखने वाले राजस्व अधिकारी एवं वन क्षेत्राधिकारी को लिखित सूचना दे."

रायपुर राज्यपाल,
तारीख छत्तीसगढ़.

रायपुर, दिनांक 27 अप्रैल 2002

क्रमांक 3197/21-अ/प्रारुपण/01.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता (संशोधन) अध्यादेश, 2002 (क्र. 2 सन् 2002) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आई. एस. उबोवेजा, उप-सचिव.

CHHATTISGARH ORDINANCE
(No. 2 of 2002)

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

Chhattisgarh Land Revenue Code (Amendment) Ordinance, 2002

Promulgated by the Governor in the Fifty Third year of the Republic of India.

An ordinance to amend the Chhattisgarh land Revenue Code, 1959 (Act No. 20 of 1959).

Where as the State Legislature is not in session and the Governor of Chhattisgarh is satisfied that circumstances exist render it necessary for him to take immediate action :

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (1) of Article 213 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh is pleased to promulgated the following Ordinance :—

Short title and Commencement.

1. (1) This Ordinance may be called the Chhattisgarh Land Revenue Code (Amendment) Ordinance, 2002. (No. 2 of 2002).

(2) It shall come into force from the date of its publication in the Gazette.

Insertion in Section 2 (1) (z-1).

2. (1) After entry (vii) of clause (z-1) of Sub-section (1) of Section 2 of the Chhattisgarh Land Revenue Code, 1959 (Act. No. 20 of 1959) (hereinafter referred as the Principal Act) the following entries shall be inserted, namely :—

"(viii)	Adina cardifolia	(Haldoo)
(ix)	Mitragyna parviflora	(Mundi)
(x)	Terminalia arjuna	(Arjun)
(xi)	Diospyros melanoxylon	(Tendu)
(xii)	Gmelina arborea	(Khamhar)"

Amendment in Section 239.

3. (1) In section 239 of the Chhattisgarh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959) (hereinafter referred to as the Principal Act), for the previous marginal heading "Rights in fruit bearing trees and other trees planted in unoccupied land" the marginal heading " Rights in fruit bearing trees and other trees planted in unoccupied land and Bhata Land and Bade Jhad/Chhote Jhad Ka Jungle" shall be substituted.

(2) In Sub-section (1) and (2) of Section 239, after the words "unoccupied land" wherever it occurs the words " and Bhata land and Bade Jhad/Chhote Jhad Ka Jungle" shall be added.

Insertion after sub-section (5) in section 239.

4. After Sub-section (5) of Section 239 of the Principal Act, the following Sub-section shall be inserted, namely :—

(5.A) The provisions of the Forest Conservation Act, 1980 (No. 69 of 1980) shall not apply to such Bhata Land for which permanent lease can be granted for plantation upon that land.

(5.B) An agreement can be executed for plantation on Bade Jhad/Chhote Jhad Ka Jungle. No. Bhumiswami right shall occure to the agreement holder or of his/her heir of the land of Bade Jhad/Chhote Jhad ka Jungle and on the trees planted on the above land. The agreement holder or his/her heir shall be entitled to only usufruct of the trees.

5. (1) In the Sub-section (4) of Section 241 of the Principal Act for the words "one thousand rupees" the words "five thousand rupees" shall be substituted. Amendment in Section 241.

(2) At the end of Sub-section (5) of Section 241 of the Principal Act, the following words shall be added, namely :—

"However such person shall be required to get his land demarcated by the competent authority and to inform in writing the Revenue officer and Range Forest Officer having jurisdiction, at least 10 days before felling or removal of such trees."

Raipur

Date

Governor of Chhattisgarh.

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CL

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2002.

COURT BOOK